



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञापन

दिनांक-31.05.2025

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा महिला के साथ दुष्कर्म करने की घटना में लिप्त वांछित 25,000/- रुपये का ईनामी अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में घायल/गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामद:-

ज्ञात हो कि दिनांक 29.05.2025 को एक युवती द्वारा अपने साथ दुष्कर्म किये जाने के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सूचना अंकित करायी गयी थी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना के अनावरण हेतु 04 टीमों का गठन कर अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था। घटना में लिप्त अभियुक्तगण खलील, विपिन, इजराइल व रवि को दिनांक 29.05.2025 को बाद पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। घटना में लिप्त शेष अभियुक्त की थाना झिंझाना पुलिस द्वारा तलाश की जा रही थी।

इसी क्रम में आज दिनांक 30.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत दुष्कर्म की घटना में वांछित 25,000/- रुपये के ईनामी अभियुक्त अहसान उर्फ आमिर पुत्र नसीम निवासी मौहल्ला खाताखेडी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर को झिंझाना - कैराना मार्ग पर ग्राम जमालपुर के पास हुई पुलिस मुठभेड़ में आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में घायल/गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। घायल/गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु सीएचसी ऊन भेजा गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे हैं, शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता अभियुक्त:-

1.अहसान उर्फ आमिर पुत्र नसीम निवासी मौहल्ला खाताखेडी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

1.अवैध 01 तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.प्र0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार त्यागी थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.उ0नि0 श्री सतीश कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

4.है0का0 अमित सांगवान थाना झिंझाना जनपद शामली।

5.है0का0 प्रदीप कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

6.का0 सुरेन्द्र कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

7.का0 सुमित कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।



थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा दुष्कर्म करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

ज्ञात हो कि थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने की घटना कारित की गयी थी। घटना के सम्बन्ध में दिनांक 26.05.2025 को पीड़िता के परिजनों द्वारा थाना कोतवाली शामली पर तहरीर दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना की गम्भीरता को दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शामली को निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 31.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा दुष्कर्म करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. दीपक पुत्र मांगेराम निवासी मौहल्ला लाजपतराय नगर, बड़ा बाजार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० श्री बंटी सिंह थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2. है०का० परवेन्द्र थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

3. का० राजीव कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।



थाना आदर्शमंडी पुलिस द्वारा सट्टा लगाते हुए 01 जुआरी गिरफ्तार, कब्जे से नगदी, सट्टा पर्चा व पैन्सिल बरामद:-

दिनांक 30.05.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना आदर्शमंडी पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर 01 जुआरी को सट्टा लगाते हुये नगदी 420/- रुपये एवं सट्टा पर्चा व पैन्सिल सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना आदर्शमंडी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. शाकिब पुत्र इस्लाम निवासी मौहल्ला जवाहरनगर कस्बा बनत थाना आदर्शमंडी शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1. नगदी 420/- रुपये।

2. सट्टा पर्चा व 02 पैन्सिल।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० श्री कृष्ण कुमार थाना आदर्शमंडी जनपद शामली।

2. है०का० जहीन अख्तर थाना आदर्शमंडी जनपद शामली।

3. का० अनुज कुमार थाना आदर्शमंडी जनपद शामली।



थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 12 ग्राम स्मैक बरामद:-

आज दिनांक 31.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए गये मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर को अवैध 12 ग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. इमरान उर्फ काला पुत्र फरजन्द निवासी मायापुर रोड मौहल्ला आलकला कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1. अवैध 12 ग्राम स्मैक।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० श्री विनोद कुमार राघव थाना कैराना जनपद शामली।

2. है०का० अनिल कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

3. का० मोनू थाना कैराना जनपद शामली।



थाना आदर्शमंडी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 24 पाउच देशी शराब बरामद:-

आज दिनांक 31.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए गये अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना आदर्शमंडी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 24 पाउच चेतक देशी शराब खाम(मार्का) मसाला सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.अमित शर्मा पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम सिक्का थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली

बरामदगी का विवरण:-

1.पाउच 24 चेतक देशी शराब खाम मसाला(मार्का)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 श्री ब्रजपाल शर्मा थाना आदर्शमंडी जनपद शामली

2.का0 योगेश शर्मा थाना आदर्शमंडी जनपद शामली।

3.का0 लोकेन्द्र सिंह थाना आदर्शमंडी जनपद शामली।



थाना आदर्शमंडी पुलिस द्वारा जुआ खेलते 02 जुआरी गिरफ्तार, कब्जे से नकदी 400/- रुपये व 52 ताश पत्ते बरामद:-

आज दिनांक 31.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना आदर्शमंडी पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते 02 जुआरियों को नकदी 400/- रुपये एवं 52 ताश पत्ते सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना आदर्शमंडी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्तगण:-

1.सन्नी पुत्र जयप्रकाश सिंह निवासी ग्राम सिलावर थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

2.आदेश पुत्र दर्शन निवासी ग्राम सिलावर थाना आदर्श मण्डी शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1.नकदी 400/- रुपये।

2.-52 ताश पत्ते।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 श्री आरिफ अली थाना आदर्शमंडी जनपद शामली।

2.है0का0 रोहित कुमार थाना आदर्शमंडी जनपद शामली।

3.हो0गा0 दीपक कुमार थाना आदर्शमंडी जनपद शामली।



उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

1.-वर्ष 2023 में अभियुक्त नदीम पुत्र यासीन निवासी मौहल्ला नानू कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 140/2023 धारा-2 राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 31.05.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम, कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुये 1500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 दिवस अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।